न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :—14/2018 प्रार्थना पत्र
1—श्री चैना पिता मेघा कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—श्री रामेश्वरलाल पिता जवाना कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—श्री नानूराम पिता जवाना कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
4—श्रीमति रामू पुत्री जवाना कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
5—श्रीमति कनी देवी पत्नि जवाना कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
————प्रार्थीगण

बनाम

1—श्री नाथू पिता धूला कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2—श्री नानू पिता चुना कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3—श्री रतनलाल पिता चूना कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
4—श्री नारू पिता चुना कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
5—श्री देबीलाल पिता रूपा कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
6—श्री जमना पिता रूपा कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
7—श्री बालू पिता रूपा कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
8—श्री ईश्वर पिता पोखर कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
9—श्री कुनण पिता धूला कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
10—श्री गणेश पिता मोड़ा कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
11—श्री किशन पिता खेमा कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
12—श्री भैरू पिता खेमा कुमावत, उम्र बालिग निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
13—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—26.3.2018

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—स्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम केसरपुरा र हल्का सैथुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 682/2, 714, 715, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 732, 2062/720 कुल किता 12 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा भूमि गण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसीं हैं। प्रार्थीगण के खाते व काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के पत्थरगढ़ी कराना चाहती हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.1.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये न विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 13 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक .2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। ,

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक का बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्राथी को अपने खाते व

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का सैथुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 682/2, 714, 715, 716, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 732, 2062/720 कुल किता 12 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा भूमि की जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 700/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner